सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा,
आई0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 59/2018

लल्लूराम पुत्र छाजू जाति माली निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा राज0
...प्रार्थी

बनाम

1 घासी पुत्र मूलचंद
2 श्रीमति सीता पत्नी रामजीलाल
3. जगदीश पुत्र स्व0 कल्याण
4. बनवारी पुत्र स्व0 कल्याण
5. श्रीमती रुक्मणी पत्नी स्व0 कल्याण
6. हरिनारायण पुत्र रघुनाथ समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जैलमपुरा ढाणी नांगल्यावाली तहसील लवाण जिला दौसा
7. श्री संतोष गोयल उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः 1. श्री राजेंद्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री गंगा सहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 लगायत 06 की ओर से

निर्णय

दि0 23.04.2018

संक्षिप्त विवरण स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के यहां प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उनवानी घासी बनाम नारायण मु0नं0 30/15 विचाराधीन है । प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा न होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत विचाराधीन है। जो गलत आधारों पर पेश किया गया है। अप्रार्थीगण गॉव में ऐलानियॉ कह रहे है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से पटरी बैठ गयी है। प्रकरण का जल्द ही हमारे पक्ष में फैसला हो जावेगा। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में नजदीक तारीख पेशियॉ दे रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को चैम्बर में घुसते निकलते देखा है, इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि उप जिला कलेक्टर, दौसा के यहॉ प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य प्रा0 पत्र धारा 251 में विचाराधीन है। प्रा0 पत्र में अंकित तथ्य झूँठे एवं कपोल कल्पित है पीठासीन अधिकारी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा न ही गॉव में कभी कुछ कहा। माननीय न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। प्रार्थी बेवजह हैरान व परेशान करने की गरज से स्थानान्तरण प्रा0 पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रा0 पत्र स्थानांतरण निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपखण्ड अधिकारी, दौसा की रिपोर्ट दिनांक 03.04.2018 का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य प्रकरण उप जिला कलेक्टर, दौसा के यहॉ धारा 151 (क) के तहत विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रकरण का निर्णय विधिवत सुनवाई की जाकर ही किया जाने बाबत अंकित किया गया है तथा लगाये गये आरोप मनगढन्त होना बताया है। पत्रावली में संलग्न अप्रार्थीग्ण का जवाब व प्रार्थी की आपत्ति का भी अवलोकन किया गया। चूँकि आपत्ति भी स्थानांतरण प्रा0 पत्र के मूल जवाब की ही की गई है, जो इस प्रकरण का अंश है। इसलिए पूरे प्रकरण का अध्योपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व बेबुनियाद प्रतीत होते है। गॉव में कोई कुछ भी कह सकता है, जिसका कोई आधार नहीं है। पीठासीन अधिकारी का चैम्बर सार्वजनिक होने से कोई भी व्यक्ति अपने कार्य से आ जा सकता है। मात्र प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में कई बिन्दु उठाये गये है। जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित न होकर विचाराधीन वाद की मेरिट से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/ सबूत पेश नही किये गये जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के कोई भी आरोप लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पीठासीन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। प्रा0 पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया गया है। जो चलने योग्य नही है। अतः प्रा0 पत्र स्थानान्तरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रा0 पत्र खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23 अप्रेल, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा